न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

पीठासीन अधिकारीः– महेश गगोरिया , उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

प्रकरण संख्या–76/2024 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा.ले.रे.एक्ट

श्री नीरज पुत्र जगदीश प्रसाद श्रृंगी, उम्र बालिग, निवासी झालरबावड़ी, चारभुजा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

......प्रार्थी

विरूद्व

जरिये भूमिधारी तहसीलदार साहब रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़।

...........विपक्षी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

प्रार्थी की ओर से उपस्थित :– **प्रदीप बीलू**

अप्रार्थी की ओर से :– **पेरोकार सरकार।**

दिनांकः– 05.11.2024

–ःआदेशः–

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया हैं कि ग्राम मौजा नगपुरा प0ह0 गोपालपुरा, भू. अ. निरीक्षक क्षेत्र बोराव, तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका खाता संख्या 129 खसरा संख्या 489, 489/900, 489/901 रकबा क्रमशः 1.500, 1.9500, 1.3000 है0 कुल रकबा 4.7500 भूमि प्रार्थी के नाम सम्पूर्ण खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की हैं जिसकी पत्थरगढी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र द्वारा निवेदन किया कि खसरा संख्या 489, 489/900, 489/901 के पड़ौसी खातेदार व प्रार्थी के बीच कृषि आराजीयात पर फसल बुवाई और फसल कटाई को लेकर व पास मेब के बाडे में फसल को रखने को लेकर व आये दिन मेड, घास फुस को काटने व सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है। प्रार्थी ने निवेदन किया हैं कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराये जावे। प्रार्थी की ओर से आराजीयात जैर बहस की नकल जमाबंदी एवं नक्शा ट्रैस प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थी को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया– प्रार्थी उक्त आराजीयात जैर बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार निहित है।

पत्रावली पर अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली में उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली पर उभय पक्ष को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया।

–ःआदेशः–

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–128 रा.ले.रे. एक्ट को स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रावतभाटा को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मौजा नगपुरा प0ह0 गोपालपुरा, भू. अ. नि. क्षेत्र बोराव, तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 की खाता संख्या 129 खसरा संख्या 489, 489/ 900, 489/901 रकबा क्रमशः 1.500, 1.9500, 1.3000 [illegible] प्रार्थी के नाम पर खातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा को सूचि[illegible]की उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दखल दि[illegible] स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी की जावे एवं मौके प[illegible] पेश करें। पर्चा मौका एवं मौका ट्रैस 15 योम में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। कमिश्नर फीस 1000/–रूपये अक्षरे एक हजार रूपये प्रार्थी से वसूल किये जावे[illegible]करण दर्ज रजिस्टर होकर जा दी. दायरी रजिस्टर नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

यह निर्णय आज दिनांक 05.11.2024 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.11.07 13:00:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.)
सत्यमेव जयते

(महेश गगोरिया) आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)